


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अहक
हुक्म
में

तहत कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नही समझा है।
अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से इस पत्रावली
पर कार्यवाही को दली स्तर पर DROP किया जाना उचित समझा है।
आतः इस सार्थक पत्र पर कार्यवाही दली स्तर पर DROP की
जाती है तथा तहसीलदार धौलपुर को निर्देश किया जाता है कि
वह अर्थात् मोबाइल टॉवर को चिन्हित कर नगरीय विद्यालय
विभाग (10/12/17) सचिव को पत्र आदेश दिनांक 6/2/17
के अनुसार कार्यवाही कर (19) पत्रावली जैसल भुगत होकर
नगर से कट हो हल्व जाया दायित्व नगर से।




उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

14 $\frac{12}{19}$

पत्रावली आज 210वीं लोक अदालत केंद्र में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। यह साक्ष्य पत्र सार्थी की ओर से असाक्षित दाए वृद्धि आ।।।।। में मोवाहल 2198 स्थापित करने पर पेश किया है सा. पत्र राज. का. रत. वारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत सा. नु. किया है।

मोवाहल टॉवरों के सम्बन्ध में नजीम विद्यालय विभाग राज. सा. वारी के परिपत्र 1 अक्टूबर दिनांक 6/2/17 में अर्पण मोवाहल टॉवरों को हटाने/सीज करने अथवा मोवाहल टॉवरों के नियमितकरण के सम्बन्ध में कितने सा. वारी को दर्शाया गया है। सार्थी को अर्पण मोवाहल टॉवरों के सम्बन्ध में उक्त परिपत्र अज्ञात कार्यवाही वाली यादिर/मोवाहल टॉवरों के स्थापना पर राज. सा. वारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के